कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

कमांक : 79 दिनांक : 13.08.2025

संशोधित कार्यालय आदेश

प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 76 दिनांक 29.07.2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर माह अगस्त, 2025 में **दिनांक 23.08.2025** के राजकीय अवकाश हेतु राजसमंद न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी **श्री पियूष कुमार,** विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा के स्थान पर **श्री सुनिल,** अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा **जिला राजसमन्द को** रिमांड ड्यूटी/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

पूर्व का शेष आदेश यथावत रहेगा।

—sd/

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

कमांक : स्था0/2025/ 655 दिनांक : 13.08.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित किया जावे।
4. इन्चार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय राजसमन्द को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई–कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द